न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/9

अनीसा पत्नी अब्दुल सलाम जाति मुसलमान निवासी ग्राम मवासा रोड, कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा

– अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा राज0।

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री अतुल वशिष्ठ, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।
2. श्री पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय **दिनांक 17.06.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर(मुख्यालय), कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 39/2015 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.10.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांट द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 2026 की रकबा 1.21 हैक्टर वाके ग्राम कैथून, पटवार क्षेत्र कैथून, तहसील लाड़पुरा जिला कोटा में स्थित है, जिस पर वादिनी बहैसियत काश्तकार करीब करीब 30, 35 वर्षों से निरंतर काबिज चली आ रही है और उक्त तथ्य की जानकारी प्रतिवादी को प्रारम्भ से ही है और आज भी वादिनी पूर्ववत् उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। वादिनी भूमिहीन काश्तकार है और उसके पास अपना व अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिये उक्त आराजी के अलावा अन्य कोई आराजी भी नहीं है और वह भूमिहीन कृषक की परिभाषा में आती है और प्रारम्भ से ही उक्त आराजी में काबिज काश्त होकर अपना जीवन–यापन कर रही है, जिसे 30 वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है। गत् 30 वर्षों से अधिक समय से निरंतर उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करने के आधार पर वादिनी एडवर्स पजेशन के आधार पर उक्त भूमि अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने की अधिकारिणी है। वादिनी उक्त आराजी पर निरंतर

आधार पर यह अपील प्रस्तुत कर रही है–

काबिज होने के आधार पर बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ प्रतिवादी की जानकारी में निरंतर काबिज होने के आधार एवं एडवर्स पजेशन होने से उक्त वाद के मद नं0 1 में अंकित आराजी को सिवाय चक से हटाकर अपने खाते दर्ज करवाने एवं इन्द्राज दुरूस्ती करवाने की अधिकारी है क्योंकि एडवर्स पजेशन के आधार पर वादिनी को उक्त भूमि पर स्वतः ही कानूनी रूप से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। वादिनी गत् 30–35 वर्ष से लगातार उक्त भूमि पर काबिज काश्त है और लगान राज आदि अदा करती आ रही है और वादिनी को धारा 91 एल.आर. एक्ट के नोटिस भी लगातार प्राप्त हो रहे है और वादिनी समय–समय पर 91 एल.आर. एक्ट के तहत जुर्माना राशि भी जमा करती आ रही है तथा वादिनी को उक्त आराजी से राज्य सरकार एवं प्रशासन द्वारा पूर्व में कभी भी बेदखल नहीं किस्फुझायाम है और न ही कोई बेदखली का नोटिस ही वादिनी को दिया गया है। इस कारण वादिनी के पुराने कब्जे की पुष्टि हो जाती है और पुराने कब्जे के आधार पर वादिनी उक्त भूमि को अपने खाते दर्ज करवाने की अधिकारिणी है। माननीय राज्य सरकार द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर 12 वर्ष से अधिक कब्जे के बाद एडवर्स पजेशन लागू हो जाता है और राज्य सरकार के विरूद्ध 30 वर्ष के बाद एडवर्स पजेशन लागू हो जाता है और वादिनी को दोनों विधि अनुसार उक्त भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुका है इसलिये वादिनी उक्त भूमि को अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने एवं इंद्राज दुरूस्ती करवाने की अधिकारिणी है। वादिनी ने राजस्व अभियान के दौरान प्रतिवादी एवं सम्बन्धित अधिकारियों से आराजी नियमन व आवंटन हेतु पूर्व में आवेदन प्रस्तुत किये हुये है, किंतु उन पर आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है जबकि वादिनी आवंटन और नियमन की सम्पूर्ण पात्रता कानूनी रूप से रखती है, किंतु इतने पुराने कब्जे के बावजूद भी प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि को वादिनी को नियमन व आवंटन नहीं करने और खातेदारी नहीं दिये जाने के फलस्वरूप वादिनी के लिये यह वाद लाना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादी उक्त भूमि पर वादिनी को खातेदारी अधिकार नहीं देकर मनमाने तौर पर उक्त आराजी को बाला–बाला अन्य संस्थाओं व व्यक्तियों को आवंटन करने पर उतारू है और दिनांक 28.05.2015 को तहसीलदार साहब एवं आवंटन अधिकारी के यहां प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर भी उन्होनें उक्त आराजी वादिनी को आवंटन व नियमन करने से इंकार करते हुये शीघ्र ही उक्त भूमि अन्य व्यक्तियों व संस्था को आवंटन करने की धमकी दी और वादिनी की कोई भी बात मानने से स्पष्ट इंकार कर दिया। अतः वादिनी को अपने हितों की रक्षार्थ यह वाद पेश करना आवश्यक हो गया है, तदर्थ यह वाद पेश है। स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लेण्ड होल्डर के नाते आवश्यक पक्षकार है, जिसके विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का नोटिस मियादी दो माह का प्रेषित किया जाना आवश्यक है, किंतु वाद अरजेन्ट नेचर का होने से

कोटा

यदि नोटिस दिया जाकर दो माह का इंतजार किया गया तो प्रतिवादी किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उक्त भूमि आवंटित व नियमन कर देगा, जिससे वादिनी का वाद पेश करने का मकसद समाप्त हो जायेगा। अतः नोटिस दिया जाना सम्भव नहीं है इसलिये पृथक से आवेदन अंतर्गत धारा 80 (2) सीपीसी के तहत अनुमति हेतु पेश किया गया है। प्रस्तुत वाद का वाद कारण वादिनी द्वारा वाद–पत्र की मद नं० 1 में वर्णित भूमि पर करीब 30–35 वर्षों तक निरंतर प्रतिवादी की जानकारी में काबिज चले आने और तदुपरांत पुराने कब्जे व एडवर्स पजेशन के आधार पर आराजी पर खातेदारी अधिकार देने एवं आवंटन व नियमन करने की प्रार्थना के बावजूद प्रतिवादी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने और फिर दिनांक 28.05.2015 को वादिनी के आवेदन के बावजूद वादिनी को भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने से इंकार करते हुये शीघ्र ही उक्त आराजी को आवंटन व नियमन करने की धमकी देने और वादिनी की कोई भी बात मानने से स्पष्ट रूप इंकार करने पर माननीय न्यायालय के न्याय क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है। वादिनी की उक्त आराजी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार सम्माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रस्तुत वाद अवधि मध्य उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।अतः वाद–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादिनी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री सादर पारित फरमायी जावे कि–(1). कि वाद–पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 2026 की रकबा 1.21 हैक्टर वाके ग्राम कैथून, पटवार क्षेत्र कैथून, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा स्थित का वादिनी को लगातार करीब 30–35 वर्षों से निरंतर प्रतिवादी की जानकारी में काबिज होने के आधार पर पुराने कब्जे व एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार घोषित करते हुये उक्त आराजी को सिवाय चक से हटाकर वादिनी के खाते में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे और इसी अनुरूप रिकॉर्ड में दुरूस्ती व अमल दरामद किया जावे। (2) प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वाद–पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 2026 की रकबा 1.21 हैक्टर वाके ग्राम कैथून, पटवार क्षेत्र कैथून, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा जिस पर वादिनी निरंतर प्रतिवादी की जानकारी में काबिज काश्त चली आ रही है, उक्त भूमि या उसके किसी भाग को प्रतिवादी अवैध व गैर कानूनी तरीके से किसी अन्य व्यक्ति अथवा किसी संस्था को आवंटन अथवा नियमन नहीं करें और ना ही उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग से वादिनी को ताकत के बल पर बेदखल करे और न ही वादिनी के शांति पूर्ण कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत करें। ऐसा कार्य ना तो प्रतिवादी स्वयं करें और ना ही प्रतिनिधि व एजेन्टों से करावे। (3) वाद व्यय वादिनी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो हो वह वादिनी को प्रदान

की जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो समीचीन हो वह वादिनी के पक्ष में प्रदान की जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.10.2024 को वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किए जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 22.10.2024 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि .योग्य अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक–22.10.2024 की अपीलान्ट को कभी कोई जानकारी नही हुई, क्योकि अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट को हर तारीख पेशी पर उपस्थित होने के लिये मना किया गया था। इसलिये अपीलान्ट योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुई। दिनांक–27.11.2024 को अपीलान्ट द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर प्रकरण की जानकारी चाही तो अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि आप द्वारा प्रस्तुत वाद दिनांक–22.10.2024 को खारिज फरमा दिया गया है जिस पर तुरन्त अपीलान्ट द्वारा निर्णय की नकल प्रस्तुत की गई और दिनांक – 05.12.2024 को नकल प्राप्त होते ही उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक–22.10.2024 की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्टगण को दिनांक–27.11.2024 को होने पर तथा नकल दिनांक–05.12.2024 को प्राप्त होने की अवधि को मुजरा करते हुये अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की

कोटा

जा रही है इसलिए देरी की मियाद को माफ किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील के प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील को अवधि मध्य माने जाने के आदेश प्रदान करे। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किए जाने तथा अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय संचिका के सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का आराजी पर एडवर्स पजेशन के आधार पर कब्जा ना मानते हुये वाद पत्र खारिज किये जाने में कानूनी त्रुटि की है इसलिये दिया गया निर्णय काबिल निरस्तनीय है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर किये बिना कि उक्त विवाद ग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का करीब 30–35 वर्षों से कब्जा काश्त चला आ रहा है और अपीलान्ट द्वारा योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कब्जे से सम्बन्धित सभी दस्तावेज एवं स्वयं की साक्ष्य प्रस्तुत कर वाद को स्वयं के पक्ष में प्रमाणित कर दिया था लेकिन अपीलान्टा वादी की साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजो पर गौर किये बिना दिया गया निर्णय काबिल निरस्तनीय हैं। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर किये बिना कि अपीलान्ट एक भूमिहीन महिला है और उसके पास गुर–बसर करने का इस आराजी के अलावा कोई साधन नही है और कानूनन एडवर्स पजेशन के आधार पर अपीलान्ट उक्त भूमि को न्यायालय से खातेदार के रूप में अपने नाम दर्ज कराने की कानूनन अधिकारी है। उक्त आराजी से कभी भी अपीलान्ट को बेदखल नही किया गया है तथा अपीलान्ट द्वारा समय समय पर आराजी की जुर्माना राशि भी सरकार को जमा कराई गई है। इन सभी तथ्यो पर गौर किये बिना जो निर्णय योग्य अधीनस्थ ने पारित किया है वह काबिल निरस्तनीय है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक–22.10.2024 को निरस्त किए जाने का निवेदन किया। साथ ही रेस्पोडेन्ट को इस आशय की निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का निवेदन किया कि अपीलान्ट के कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नं0–2026 रकबा 1.21 हैक्टेयर वाके–ग्राम कैथून पर अपीलान्ट के निरन्तर कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की कोई बाधा व अवरोध उत्पन्न नही करे और नाही अपीलान्ट की कब्जेकाश्त की आराजी में कोई मजाहामत व मजाखलत करे और ना ही अपीलान्ट को उक्त आराजी से बेदखल करे।

8. विद्वान पैरोकार सरकार रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त आराजी पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम कैथून की खसरा संख्या 2026 रकबा 1.21 हैक्टेयर किस्म तीर सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है। अतः

वादग्रस्त आराजी अपीलांट के खाते की भूमि नहीं होकर सरकारी सिवायचक भूमि है। अपीलांट का कब्जा अवैध एवं अतिक्रमण की श्रेणी का है। वादग्रस्त आराजी में अपीलांट को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत बेदखल किए जाने की कार्यवाही की गई है। अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर निरन्तर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपीलांट को समय समय पर नाटिस जारी किए गए है। अपीलांट का कोई एडवर्स पजेशन नहीं है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में एडवर्स पजेशन के आधार पर घोषणा का अनुतोष चाहा गया है जो कानूनन प्रदान किया जाना संभव नहीं है। अपीलांट ने स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है तथा प्रकरण के प्रत्येक तथ्य की अपीलांट को प्रारंभ से ही जानकारी रही है। इसके बावजूद भी अपीलांट ने न्यायालय हाजा में मियाद बाहर अपील पेश की है। अपील पेश किए जाने में हुए विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण भी अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किया है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र मे झूठे व मनगढ़न्त कथन अंकित किए है अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर भी खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.10.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

9. हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थीगण अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की मियाद के बिन्दु पर की गई बहस पर मनन किया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद एवं अपील में अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 2026 रकबा 1.21 हैक्टेयर भूमि पर स्वयं को 35 वर्षो से काबिज काश्त होना

कोटा

बताकर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2061 ये 2064 के अनुसार वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम कैथून की खसरा संख्या 2026 रकबा 1.21 हैक्टेयर भूमि सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा परिवर्तित निर्धारण तथा गैर मुस्तकिल काश्त सम्वत् 2060, 2061, 2069, 2070, 2059 में काश्तकार के कॉलम संख्या 3 में अनिसा पत्नि अब्दुल सलाम दर्ज रिकॉर्ड है तथा फसल के नाम के कॉलम संख्या 4 में फसल का नाम अंकित है। अपीलांट का कथन है कि वह वादग्रस्त आराजी पर निरन्तर 35 वर्षों से काबिज काश्त है परन्तु अपीलांट द्वारा स्वयं के कब्जा काश्त होने के समर्थन में प्रस्तुत नकल खसरा परिवर्तित निर्धारण तथा गैर मुस्तकिल काश्त कुछ वर्षों (सम्वत् 2060, 2061, 2069, 2070, 2059) के ही प्रस्तुत किए गए है। अपीलांट द्वारा पिछले 35 वर्षो से निरन्तर कब्जा काश्त होने के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत जारी नोटिस दिनांक 01.06.2009, 20.10.2009, 06.09.2007, 06.02.2015, 06.03.2006 संलग्न है। उक्त सम्मन नोटिस ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 2026 की रकबा 0.56 हैक्टेयर भूमि से बेदखल किए जाने हेतु जारी किया जाना अंकित है। उक्त नोटिस के अवलोकन से अपीलांट का तथाकथित कब्जा अतिक्रमी की हैसियत का होना तथा खसरा नम्बर 2026 के सम्पूर्ण रकबे 1.21 हैक्टेयर पर नहीं होकर केवल 0.50 हैक्टेयर भूमि पर ही होना प्रकट होता है। अपीलांट के विरूद्ध समय–समय पर वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में धारा 91 एल.आर.एक्ट. के तहत कार्यवाही की जाती रही है तथा अपीलांट को बेदखल किया गया है। अतः अपीलांट का यह कथन सही नहीं है कि अपीलांट वादग्रस्त खसरा नम्बर 2026 की भूमि पर निरन्तर पिछले 35 वर्षों से काबिज होकर काश्त कर रहा है। वर्तमान में वादग्रस्त आराजी का वास्तविक मालिक एवं स्वामि अपीलांट नहीं होकर राज्य सरकार है तथा रेस्पोडेन्ट राज्य सरकार द्वारा अपीलांट को वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जाता रहा है तथा अपीलांट से समय समय पर राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर जुमाना राशि वसूली की जाती रही है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर एडवर्स पजेशन होना प्रमाणित नहीं होता है। अपीलांट ने वादग्रस्त भूमि पर स्वयं को 35 वर्षों से निरन्तर कब्जा काश्त होना बताकर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा है परन्तु अपीलांट ना तो वादग्रस्त भूमि पर स्वयं का निरन्तर पिछले 35 वर्षो से कब्जा काश्त होना प्रमाणित करने में सफल रहे है और ना ही वर्तमान विधि के अनुसार एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किए जा सकते है। एडवर्स पजेशन के सम्बंध माननीय राजस्व मण्डल के न्यायिक दृष्टांत 2015 डी.एन.जे. 2015 पेज 224 एवं माननीय

उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2018(3)डब्ल्यु.एल.एन पेज 114 प्रतिपादित किए गए है जिनके अनुसार एडवर्स पजेशन के आधार पर वाद पोषणीय नहीं होना माना गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय दिनांक 22.10.2024 में एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना कानूनी रूप से पोषणीय नहीं होना मानकर वाद खारिज किए जाने का आदेश अंकित किया है जिससे हम सहमत है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.10.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय कोटा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 39/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.10.2024 यथावत रखी जाती है।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

12. निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/6/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

Judl/Govt.
Part 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मुरलीधर प्रतिहार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2025/9

अनीसा पत्नी अब्दुल सलाम जाति मुसलमान निवासी ग्राम मवासा रोड, कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा

– अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा, कोटा जिला कोटा राज0।

–रेस्पोडेन्ट

वाद संख्याः 39/2015

अनीसा पत्नी अब्दुल सलाम जाति मुसलमान निवासी ग्राम मवासा रोड, कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा

–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार , तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राज0।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद संख्या 39/2013 में न्यायालय उपखण्ड सहायक कलेक्टर(मुख्यालय) कोटा, जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.10.2024 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

आधार पर यह अपील प्रस्तुत कर रहा हूँ।

2. उक्त अपील तारीख 17.06.2025 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री अतुल वशिष्ठ, रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया जाता है कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) कोटा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 39/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.10.2024 बहाल रखी जाती है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

4. यह डिक्री आज तारीख 17.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

17/6/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा